PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Friday 31st January 2014, Page: 1
Width: 12.85 cms, Height: 8.36 cms, a4, Ref: pmin.2014-01-31.50.11

दवा कंपनियों को जुर्माने पर ऐतराज

बिजनेस भास्कर ▶ **नई दिल्ली...**

दवा कंपनियां ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) 1995 की अवधि के दौरान तय समय में नई कीमतें लागू न करने के लिए जुर्माने की रकम जमा कराने को तैयार नहीं दिख रही हैं। कुछ दवा कंपनियां पिछले एक दशक की अवधि में हुई दवाओं की बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड न होने की बात कह रही हैं। वहीं, कुछ कंपनियों का कहना है कि इस बारे में हमारा उद्योग संगठन जो फैसला करेगा हम उसी के आधार पर आगे कदम उठाएंगे।

एक अग्रणी दवा कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिजनेस भास्कर' को बताया कि आम तौर पर कंपनियां उत्पादन और बिक्री से जुड़े चार-पांच वर्ष पुराने आंकड़े मेंटेन करती हैं। हालांकि इसको लेकर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। कंपनियां अपनी सुविधानुसार आंकड़े मेंटेन करती हैं। अधिकारी के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले हमारे उत्पादों की संख्या बहुत कम है। फिर भी हमारा उद्योग संगठन इस पर जो फैसला करेगा हम उसी के आधार पर आगे कदम उठाएंगे। इंडियन फार्मास्युटिकल एलाएंस के सेक्रेटरी जनरल डी.जी शाह का कहना है कि कोई भी कंपनी दवाओं की बिक्री से जुड़े दस वर्ष पुराने आंकड़े मेंटेन नहीं करती है। यहां तक कि आज अगर किसी कंपनी से पूछा जाए कि उसके पास कितना स्टॉक है तो उसने होलसेलर को जितनी दवा बेची वह तो बता सकती है लेकिन केमिस्ट ने कितनी दवा बेची और कितना स्टॉक बचा है, इसको ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है।

स्वैच्छिक जुर्माना मुद्दा

एनपीपीए ने दवा उद्योग संगठनों को 15 दिन में नई दवा कीमतें लागू न करने वाली कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से ओवरचार्जिंग की रकम 15 फीसदी ब्याज के साथ जमा कराने को कहा था